रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112022-240430
CG-DL-E-19112022-240430

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 594] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 2022/कार्तिक 27, 1944
No. 594] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 2022/KARTIKA 27, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2022

फा.सं. पीएनजीआरबी/वाणि./2-एनजीपीएल/टैरिफ (3)/2019 खंड-IV (पी-4121).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 11 और धारा 22 के खंड (क) और (ड़) और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I खंड 1 में फा.सं. एल-12022/1/03-जीपी (भाग II) में दिनांक 20.12.2006 को अधिसूचित भारत सरकार के प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए नीति के अनुच्छेद14 के साथ पठित धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय गैस ग्रिड के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: –

1.लघु शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किए गए दिन से लागु होंगे ।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008 में, -

क. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, -

(i) खंड (ञ) के लिए-

(क) उपखंड (i) में, 'और' शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) उपखंड (ii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"राष्ट्रीय गैस ग्रिड प्रणाली के पहले टैरिफ जोन के दोनों ओर तीन सौ किलोमीटर से अधिक और बारह सौ किलोमीटर तक की लंबाई के एकीकृत टैरिफ के लिए दूसरा टैरिफ जोन, या"

(ग) उपखण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्--

“(iii) एकीकृत टैरिफ के दूसरे टैरिफ जोन के दोनों ओर राष्ट्रीय गैस ग्रिड सिस्टम की शेष लंबाई एकीकृत टैरिफ का तीसरा टैरिफ जोन है;”

ख. विनियम 5क के उप-विनियमन (4) में, -

(i) "के प्रारंभ ..." से शुरू होने वाले शब्दों और "..... संशोधन विनियम, 2020" से समाप्त होने वाले शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् : –

"इस पैरा की अधिसूचना".

ग. अनुसूची ख में,-

(i) भाग क के पैरा 5 के उप-पैरा (1) में प्वाइंट (i) और (iii) में " का प्रारंभ " से प्रारंभ होने और "संशोधन विनियम, 2020" के साथ समाप्त होने वाले शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा : -

"इस पैरा की अधिसूचना".

(ii) पैरा 6 में "नोट्स" के शीर्ष के तहत प्वांइट (ii) के लिए,

(घ) शब्द "दो" को शब्द "तीन" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ङ) "40%" शब्द को "45%" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा

(च) अंत में, “दूसरे प्रशुल्क जोन के लिए टैरिफ तीसरे टैरिफ जोन के लिए टैरिफ का 75% होगा” शब्दों को जोड़ा जाएगा।

(iii) भाग ख में, "के प्रारंभ..." से शुरू होने वाले और "संशोधन विनियम, 2020" के साथ समाप्त होने वाले शब्दों को निम्नलिखित शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-

"इस पैरा की अधिसूचना".

घ. अनुसूची ग में, -

(iv) क्रम संख्या 1 में पाइपलाइन नाम के शीर्ष के तहत दाभोल-बंगलौर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे-

"केजी बेसिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, गुजरात रिजनल का बड़ौदा उप नेटवर्क, मुंबई रिजनल

ग) उरणथल उसर उप नेटवर्क,

घ) ट्रॉम्बे उप नेटवर्क, "

(v) क्रम संख्या 4 में पाइपलाइन नाम के शीर्ष के तहत ‘’जीएसपीएल के उच्च दाब गुजरात गैस ग्रिड’’ के पश्चात् ‘’जीएसपीएल का निम्न दाब गुजरात गैस ग्रिड’’ शब्द जोड़े जाएगें ;

(vi) क्रम संख्या 7 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, -

क्र.सं.	प्राधिकृत कंपनी	पाइपलाइन का नाम
8	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	उरण ट्रॉम्बे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रणाली
9	गुजरात गैस लिमिटेड	हजीरा अंकलेश्वर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रणाली

अनिल कुमार गर्ग , संयुक्त सलाहकार (प्रशा.)

[विज्ञापन-III/4/असा./416/2022-23]

पाद टिप्पणी : मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) में 807(अ.), 20 नवंबर, 2008 को प्रकाशित हुआ था और इसमें जी.एस.आर. 986(अ.), दिनांक 20 दिसंबर, 2010, फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/11/अंतिम टैरिफ फाइलिंग, दिनांक 30 मई, 2012, पीएस/ सचिव/एम(सी)/ 2012, दिनांक 13 सितंबर, 2012, फा.सं. पीएनजीआरबी/ एम(सी)/48, दिनांक 17 फरवरी, 2014, फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/100, दिनांक 27 फरवरी, 2014, फा.सं. एल विविध/VI/I/20017, दिनांक 01 जनवरी, 2015, पीएनजीआरबी/एम(सी)/110, दिनांक 08 जनवरी, 2016, फा.सं. पीएनजीआरबी/सीओएम/2-एनजीपीएल टैरिफ (3)/2019, दिनांक 27 मई, 2019, फा.सं. पीएनजीआरबी/सीओएम/2- एनजीपीएल/ टैरिफ (3)/2019 खंड-II, दिनांक 27 मार्च, 2020 और फा.सं. पीएनजीआरबी/वाणि./2- एनजीपीएल/टैरिफ(3)/2014 खंड-IV (भाग-1) (पी-1439) 23 नवम्बर 2020 और फा.सं.

पीएनजीआरबी/वाणि./2-एनजीपीएल/टैरिफ (3)/2019 खंड-IV (पी-4121) दिनांक 17 नवम्बर 2022 द्वारा संशोधित किये गये थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th, November, 2022

F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3) /2019 Vol-IV (P-4121).—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (2) of section 61, read with clauses (a) and (e) of section 11 and section 22 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006) and paragraph 14 of the Policy for Development of Natural Gas Pipelines and City or Local Natural Gas Distribution Networks of the Government of India notified on 20.12.2006 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I Section 1 with F. No. L-12022/1/03-GP (Pt. II) to facilitate the creation of a National Gas Grid, the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations further to amend Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008, namely:-

1. **Short title and commencement.**

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Second Amendment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on such day as the Board may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008, —

a. in regulation 2, in sub-regulation (1), —

(i) for the clause (j),-

(a) in sub-clause (i), the word 'or', shall be omitted;

(b) for sub-clause (ii), the following clause shall be substituted, namely: —

"second tariff zone for unified tariff of a length of more than three hundred kilometers and upto twelve hundred kilometers on either side of the first tariff zone of national gas grid system, or"

(c) after, sub-clause (ii), the following clause, shall be inserted, namely,-

"(iii) third tariff zone for unified tariff being the remaining length of the national gas grid system on either side of second tariff zone for unified tariff;"

b. In sub-regulation (4) of regulation 5A, -

(i) for words beginning with "commencement of…." and ending with "…..Amendment Regulations, 2020", shall be substituted by the following namely: —

"notification of this para".

c. In Schedule B , —

(i) in sub-para (1) of para 5 of Part A, for point (i) & (iii) for words beginning with "commencement of….." and ending with "….Amendment Regulations, 2020", shall be substituted by the following namely: — "notification of this para".

(ii) for point (ii) under the head of "Notes" in para 6,

(a) the word "two", shall be substituted by the word "three";

(b) the word "40%", shall be substituted by the word "45%"

(c) at the end, the words "of tariff of second tariff zone", "and tariff for the second tariff zone shall be 75% of the tariff for third tariff zone", shall be inserted.

(iii) in Part B, for words beginning with "commencement of….." and ending with "….Amendment Regulations, 2020", shall be substituted by the following namely: —

"notification of this para".

d. In Schedule C, —

(i) in S.No.1 under the head of Pipeline Name, after the words "Dabhol-Bangalore Natural Gas Pipeline", the following words shall be inserted,-

"KG Basin Natural Gas Pipeline, Baroda Sub Network of Gujarat Regional, Mumbai Regional

a) Uran Thal Usar Sub Network,

b) Trombay Sub Network,"

(ii) in S.No.4 under the head of Pipeline Name, after "GSPL's High Pressure Gujarat Gas Grid,", the words "GSPL's Low Pressure Gujarat Gas Grid", shall be inserted;

(iii) after S.No.7 following shall be inserted,-

S.No.	**Entity Authorized**	**Pipeline Name**
8	Oil and Natural Gas Corporation Limited	Uran Trombay Natural Gas Pipeline System
9	Gujarat Gas Limited	Hazira Ankleshwar Natural Gas Pipeline System

ANIL KUMAR GARG, Jt. Adviser (Admin)

[ADVT.-III/4/Exty./416/2022-23]

Foot-note: Principal regulation, were published in the Gazette of India (Extraordinary) vide No. G.S.R. 807(E), dated the 20th November, 2008 and amended vide G.S.R. 986(E), dated 20th December, 2010, F. No. PNGRB/M(C)/11/Final Tariff Filing, dated 30th May, 2012, PS/Secy./M(C)/2012, dated 13th September, 2012, F. No. PNGRB/M(C)/48, dated 17th February, 2014, F. No. PNGRB/M(C)/100, dated 27th February, 2014, F. No. L-MISC/VI/I/20017, dated 01st January, 2015, PNGRB/M(C)/110, dated 08th January, 2016, F. No. PNGRB/COM/2-NGPL Tariff (3)/2019, dated 27th May, 2019 and F. No. PNGRB/COM/2- NGPL/Tariff (3)/2019 Vol-II, dated 27th March, 2020and F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3)/2014 Vol-IV(Part-1) (P-1439), dated 23rd November, 2020, F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3)/2014 Vol-IV(Part-1) (P-1439), dated 23rd November, 2020 and PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3) /2019 Vol-IV (P-4121) dated 17th November, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.11.19 16:02:53 +05'30'